

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1225  
उत्तर देने की तारीख-08/12/2025

लक्षद्वीप में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्य के पद

†1225. श्री हमदुल्ला सईद:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि लक्षद्वीप में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्यों के ग्यारह संस्वीकृत पदों में से नौ पद अभी भी रिक्त हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रधानाचार्य के इन रिक्त पदों को पारदर्शी और अर्हता आधारित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पूर्व में प्रधानाचार्य के पदों पर अपात्र व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि लक्षद्वीप में विद्यालयों का नेतृत्व करने के लिए केवल अपेक्षित अनुभव वाले योग्य व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जाए?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ):- शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, देश में अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। रिक्तियों को भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है और सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, पदोन्नति और नये वर्षों के उन्नयन/स्वीकृति के साथ-साथ छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण अतिरिक्त आवश्यकता की वजह से शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा, केन्द्र सरकार नियमित बैठकों और परामर्शों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिक्तियों को भरे जाने की आवधिक समीक्षा करती है।

\*\*\*\*\*